

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13204/2024

1. गोवर्धन कुमार पुत्र श्री मसरू राम, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम मांडवा, उदयपुर, राजस्थान।
2. लादू राम गरासिया पुत्र श्री केशा राम गरासिया, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम बेरन, उदयपुर, राजस्थान।
3. भंवर लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम सामिली, उदयपुर, राजस्थान।
4. हंसराज गमर पुत्र श्री राम लाल, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम गोरिया, उदयपुर, राजस्थान।
5. विनोद कुमार गमेती पुत्र श्री शंकर लाल गमेती, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10, ग्राम पोस्ट तलैया, थाना बिछिवरा, इंगरपुर, राजस्थान।

-----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर, राजस्थान।
3. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोटडा, उदयपुर, राजस्थान।
4. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, न्यागांव, उदयपुर, राजस्थान

-----प्रतिवादीगण

सह

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11757/2024

कृष्णा शेखावत पुत्री भंवर सिंह शेखावत, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी मकान नंबर 81/120, शिकारगढ़ होटल के पास, शिकारगढ़, जोधपुर (राज.)

-----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला परिषद, जोधपुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोधपुर के माध्यम से
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मंडोर, जिला जोधपुर।
4. सज्जन सिंह, एलडीसी, विकास अधिकारी पंचायत समिति मंडोर, जिला जोधपुर के माध्यम से

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13901/2024

1. सिया राम पारीक पुत्र शिव दयाल पारीक, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी रेलवे स्टेशन रोड, बांदनवाड़ा, भिनाय, जिला अजमेर।
2. नरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र मनोहर सिंह राजपूत, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी गढ़ के पास, ढाका मोहल्ला, सुरथला, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा।
3. रेनू पारीक पत्नी लोकेश पारीक, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी बीयर का खेड़ा, मानपुरा, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा।
4. गोवर्धन पुरी गोस्वामी पुत्र मोती पुरी, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम नाहरगढ़, पोस्ट थलकल्ला, वाया कछोला, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा।
5. हरि शंकर तेली पुत्र प्रभु लाल तेली, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी वैष्णव मोहल्ला, धामनिया, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा।
6. मिश्री लाल धाकेड़ पुत्र राम चन्द्र धाकेड़, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी जवानपुरा, भगुनगर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।
7. राम नाथ दरोगा पुत्र छगना दरोगा, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी बाली मोहल्ला, दलपुरा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, शासन राजस्थान, जयपुर।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।
7. बबली लड्ढा, वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा।
8. सुनीता अरोड़ा, वर्तमान में जिला परिषद भीलवाड़ा वरिष्ठ सहायक
9. श्रेष्ठ बाबेल, वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा।
10. विजय लक्ष्मी नुवाल, वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा।
11. सुमन देवी पारीक, वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाड़ा।
12. आशा पारीक, वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा।
13. बीना जैन, वर्तमान कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
14. चंद्रप्रकाश टेलर, वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा।
15. गोपाल सिंह रावत, वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाड़ा।
16. शमीम बानो, वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
17. महावीर प्रसाद सुथार, वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में।
18. प्रहलाद सैन, वर्तमान कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा।
19. शंकर लाल गाडरी, वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाड़ा।

-----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक 14195/2024

1. अर्जुन कुमार रेबारी पुत्र सुजाना राम रेबारी, उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी ग्राम कांटोल, तहसील एवं जिला सांचौर, राजस्थान
2. सांवला राम पुत्र प्रभु राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, ग्राम पोस्ट करोला, तहसील एवं जिला सांचौर, राजस्थान।
3. महादेव राम पुत्र हरचंद, उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्राम पोस्ट करोला, तहसील एवं जिला सांचौर, राजस्थान।
4. शारदा चौधरी पुत्री धूडा राम चौधरी, उम्र लगभग 34 वर्ष, ग्राम पोस्ट पदमेड़ा, तहसील व जिला सांचौर, राजस्थान।
5. गणपत राम परमार पुत्र खेमा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्राम पोस्ट हदेतर, तहसील एवं जिला सांचौर, राजस्थान।
6. रूपवंती पुत्री बुध राम, आयु लगभग 35 वर्ष, गांव कुंदकी, तहसील और जिला सांचौर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. जिला परिषद जालोर, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जालोर, राजस्थान के माध्यम से।
3. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांचौर, जिला जालोर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14259/2024

कैलाश चंद्र मीना पुत्र श्री भीका राम मीना, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी गांव निम्बली मंडा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पाली, जिला पाली।
5. भंवर लाल पुत्र श्री प्रभु राम, वर्तमान में कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति रानी, जिला पाली।
6. राम प्रसाद पुत्र श्री बसंती लाल मीना, वर्तमान में पदस्थ कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली।
7. प्रताप राम पुत्र श्री राजा राम मीना, वर्तमान में पदस्थ कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति पाली, जिला पाली।
8. रमेश चन्द्र मीना पुत्र श्री जयरूप चंद मीना, वर्तमान में पंचायत समिति में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

---प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14438/2024

1. भंवरलाल सिहाग पुत्र गणेशाराम सिहाग, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी ग्राम व डाकघर गनोड़ा, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू
2. रामचंदर मेघवाल पुत्र केसरराम, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी गाँव एवं डाकघर भीमसर, सुजानगढ़, जिला चूरू।
3. जगदीश प्रसाद पुत्र शंकरलाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी गांव एवं डाकघर आबसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू
4. भंवरलाल मेघवाल पुत्र लिखमाराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम एवं डाकघर भोजलाई, सुजानगढ़, जिला चूरू।
5. ओमप्रकाश प्रजापत पुत्र मांगीलाल, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम एवं डाकघर बोबासर, सुजानगढ़, जिला चूरू।
6. बजरंगलाल जाट पुत्र झुमरराम, उम्र करीब 34 साल, निवासी ग्राम एवं डाकघर गनोड़ा, सुजानगढ़, जिला चूरू।
7. रामचंदर नायक पुत्र नरसाराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम एवं डाकघर गोपालपुरा, सुजानगढ़, जिला चूरू।
8. जगदीश प्रसाद कुम्हार पुत्र गोपालराम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम एवं डाकघर मुर्दाकिया, सुजानगढ़, जिला चूरू

9. भंवरलाल बिरदा पुत्र कुंभाराम, उम्र करीब 40 साल, निवासी ग्राम जीली, सुजानगढ़, जिला चूरु।
10. कोजाराम पुत्र चूनाराम, उम्र करीब 42 साल, निवासी सरदारशहर, जिला चूरु।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. अपर आयुक्त एवं संयुक्त सचिव प्रथम, पंचायती राज विकास खंड, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरु, जिला चूरु, राजस्थान
4. रणजीत राम पुत्र ढाला राम, पंचायत समिति सरदारशहर, जिला चूरु
5. विनोद कुमार पुत्र कालू राम, पंचायत समिति तारानगर, जिला चूरु

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	डॉ. हरीश कुमार पुरोहित श्री वीएलएस राजपुरोहित श्री नरेश सिंह श्री सुशील सोलंकी श्री अनिल चौधरी श्री सी.एस.कोटवानी के लिए
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री मनीष पटेल, एएजी श्री कुलदीप सिंह सोलंकी

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश

23/09/2024

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11757/2024

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

वर्तमान रिट याचिका में शामिल प्रश्न राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अंतर्गत पंचायत समितियों में नियुक्त एलडीसी (कनिष्ठ सहायक) की वरिष्ठता सूची तैयार करने के मानदंडों से संबंधित है।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि एलडीसी (कनिष्ठ सहायक) की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय, योग्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि नियुक्ति की तारीख को, जब याचिकाकर्ता ने संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद में वास्तव में अपना कार्यभार संभाला था। आगे यह भी प्रार्थना की गई है कि एलडीसी (कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता की वरिष्ठता सूची राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 285 के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए।

वर्तमान रिट याचिका में संक्षेप में उल्लेखित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक योग्य उम्मीदवार होने के नाते प्रतिवादी विभाग के तहत एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इसके बाद, प्रतिवादी विभाग द्वारा तैयार की गई दिनांक 25.06.2013 की मेरिट सूची में याचिकाकर्ता का नाम एस. नं. 163 पर दर्शाया गया था। उसी के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को दिनांक 25.06.2013 के आदेश के तहत नियुक्त किया गया था। तदनुसार, उसने 01.07.2013 को अपने कर्तव्यों को संभाल लिया (अनुलग्नक 4)। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों की पूर्ण संतुष्टि के लिए दो साल की परिवीक्षा अवधि के लिए अपनी सेवाएं दीं। उसकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद, दिनांक 17.12.2015 के आदेश के तहत, उसे 27.06.2015 से एलडीसी के पद पर स्थायी घोषित किया गया। प्रतिवादियों ने यूडीसी (वरिष्ठ सहायक) के पद पर पदोन्नति के लिए एलडीसी (कनिष्ठ सहायक) की वरिष्ठता सूची तैयार की और उक्त वरिष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवादियों ने चयनित उम्मीदवारों की योग्यता के स्थान पर नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को ध्यान में रखा। अतः इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता सूची प्रतिवादियों द्वारा एलडीसी के पद पर नियुक्ति के लिए जिला स्थापना समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी आवश्यक है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में वरिष्ठता सूची तैयार करते समय याचिकाकर्ता की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को ध्यान में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उम्मीदवारों की कार्यभार ग्रहण

करने की तिथि अलग-अलग हो सकती है और विभिन्न कारणों से इसमें भिन्नता हो सकती है। इसलिए, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने से वर्तमान मामले में अनिश्चितता, अनुचितता और मनमानी हो सकती है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठता सूची अन्यथा भी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 (संक्षेप में '1996 के नियम') के नियम 285 के अनुरूप प्रतिवादियों द्वारा तैयार की जानी आवश्यक है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में शामिल विवाद इस न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 472/2023 बिमला बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में 21.08.2024 को दिए गए निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि याचिकाकर्ता की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने को रद्द किया जाए और उसे अपास्त किया जाए। यह भी प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को नियुक्ति देते समय जिला स्थापना समिति द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में उसकी स्थिति के अनुसार याचिकाकर्ता की योग्यता को ध्यान में रखते हुए 1996 के नियम 285 के अनुसार एक नई वरिष्ठता तैयार करें।

इसके विपरीत, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मनीष पटेल ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि वरिष्ठता सूची की तैयारी केवल याचिकाकर्ता की नियुक्ति की तारीख को ध्यान में रखकर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिला स्थापना समिति उम्मीदवारों का चयन करती है, हालांकि, वास्तविक नियुक्ति संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा दी जाती है, इसलिए, जिस तारीख को संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा वास्तविक नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है, उसे वरिष्ठता सूची तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 90 और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 259, 270, 276 और 285 का हवाला देते हुए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि संबंधित पंचायत/जिला परिषद द्वारा दी गई वास्तविक नियुक्ति की तारीख ही वह वास्तविक तारीख होगी जिस दिन याचिकाकर्ता को एलडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है और इसलिए वरिष्ठता सूची तैयार करते समय नियुक्ति/ज्वाइनिंग की तारीख को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए वह प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची में इस अदालत द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज किया जा सकता है।

मैंने बार में दिए गए तर्कों पर विचार किया है और संबंधित नियमों का भी अध्ययन किया है।

वर्तमान मामले में स्वीकृत स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि याचिकाकर्ता का चयन जिला स्थापना समिति द्वारा किया गया था और जिला स्थापना समिति द्वारा 25.06.2013 को एक योग्यता सूची तैयार की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 163 पर दर्शाया गया था। जिला स्थापना समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसरण में, उसे संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा नियुक्ति दी गई थी। नियुक्ति आदेश के अनुसरण में, उसने 01.07.2013 को अपने कर्तव्यों का पालन किया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों की पूर्ण संतुष्टि के लिए अपनी सेवाएं दीं। उसकी परीक्षा अवधि पूरी होने के बाद, उसे दिनांक 17.12.2015 के आदेश के अनुसार उक्त पद पर पुष्टि की गई। यूडीसी (वरिष्ठ सहायक) के पद पर पदोन्नति के विचार के लिए, प्रतिवादियों ने एक अनंतिम/अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की। एलडीसी (कनिष्ठ सहायक) की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवादियों ने उनकी नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को ध्यान में रखा है। वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 90 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 259, 270, 274, 276 एवं नियम 285 को ध्यान में रखा गया। अधिनियम, 1994 की धारा 90 एवं नियम 259, 270, 274, 276 एवं नियम 285 के सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

धारा 90: जिला स्थापना समिति का गठन और कार्य:-

(1).....

2) जिला स्थापना समिति -

(क) विभिन्न ग्रेड और श्रेणियों में पदों का चयन करेगी [धारा 89 की उपधारा (2) के खंड (i), (iii), (iv) और (v) में निर्दिष्ट पदों को छोड़कर] [अधिसूचना संख्या एफ.2(2) द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 9.4.2016 (23.4.1999 से प्रभावी)] जो जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद में सेवा में विद्यमान हैं, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार;

(ख) अस्थायी नियुक्ति के तरीके को विनियमित करेगी और ऐसी नियुक्तियों को छह महीने से आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी;

(ग) निर्धारित तरीके से पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी; और

(घ) जिले की पंचायत समितियों और जिला परिषद को धारा 91 के अंतर्गत उत्पन्न सभी अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देगी जो जिले के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं सिवाय धारा 79 और 82 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के"

नियम 259, भर्ती के तरीके:-

259. भर्ती के तरीके-

(1) राज्य सेवा के पदों को समुचित सेवा से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरा जा सकेगा।

(6) धारा 89 की उपधारा (2) के अनुसार पंचायत समिति और जिला परिषद सेवाओं में संवर्गीकृत पदों की भर्ती अधिनियम की धारा 80 और 90 के प्रावधानों के अनुसार जिला स्थापना समिति के माध्यम से जिलेवार की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

नियम 270. आवेदन आमंत्रित करना - पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा जिला स्थापना समिति को सेवा में सीधी भर्ती के लिए अध्यपेक्षा किए जाने पर, समिति द्वारा व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में खुला विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

नियम 274 समिति द्वारा योग्यता सूची तैयार करना

(1) समिति जिले में अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (2) के खंड (iii) में निर्दिष्ट पद को छोड़कर प्रत्येक ग्रेड या पदों की श्रेणी में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गए अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार करेगी और पंचायत समितियों या जिला परिषदों से अधियाचना प्राप्त होने पर सूची में से अभ्यर्थियों को उनके नाम सूची में आने वाले क्रम में आवंटित करेगी:

बशर्ते कि:-

(i) समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी योग्यता सूची तैयार किए जाने के समय

वास्तव में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी; और

(ii) इस प्रकार तैयार की गई अभ्यर्थियों की योग्यता सूची सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक सत्र के अंत तक वैध रहेगी। ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद, इसे समाप्त माना जाएगा।

(2) पंचायत समितियां या जिला परिषदें समिति को अपना अधियाचन भेजते समय नियम 261 की अपेक्षा को ध्यान में रखेंगी।

नियम 276. पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा नियुक्ति.-

पंचायत समिति या जिला परिषद समिति द्वारा आबंटित अभ्यर्थियों को उसी क्रम में नियुक्त करेगी जिस क्रम में समिति द्वारा उनके नाम अग्रेषित किए गए हैं।

नियम 280. आबंटन और नियुक्ति:-

(1) पंचायत समिति या जिला परिषद से अधियाचन प्राप्त होने पर समिति सूची में से व्यक्तियों को उसी क्रम में आबंटित करेगी जिस क्रम में उनके नाम सूची में हैं।

(2) पंचायत समितियां या जिला परिषद समिति से आबंटन प्राप्त होने पर इस प्रकार आबंटित व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त करेगी जिनके लिए समिति द्वारा उनका चयन किया गया है।

नियम 285. वरिष्ठता-

सेवा के निम्नतम ग्रेड या श्रेणी में वरिष्ठता स्थायीकरण की तिथि से निर्धारित की जाएगी तथा पदोन्नति द्वारा भरे गए अन्य उच्चतर पदों में नियमित चयन की तिथि से निर्धारित की जाएगी। परन्तु:-

(i) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही ग्रेड या श्रेणी में एक ही तिथि के एक ही आदेश या आदेशों के अन्तर्गत नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिस क्रम में समिति द्वारा तैयार की गई सूची में उनके नाम हैं।

(ii) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों से नीचे निर्धारित की जाएगी तथा वह सबसे कनिष्ठ होगा, यद्यपि उसका वेतन वैयक्तिक वेतन के रूप में संरक्षित रहेगा।

(iii) किसी विशेष वर्ष में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होगा।

उपर्युक्त नियमों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला स्थापना समिति को पंचायत समितियों/जिला परिषदों में नियुक्ति के लिए एलडीसी के चयन का कार्य सौंपा गया है। वर्तमान मामले में, निस्संदेह, भर्ती नियम 1996 के नियम 259 के अनुसरण में जिला स्थापना समिति द्वारा नियम 1996 के नियम 270 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात की गई थी। चयन समिति अर्थात् जिला स्थापना समिति ने उन अभ्यर्थियों की एक मेरिट सूची तैयार की, जिन्हें पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना गया और उसके बाद, अभ्यर्थियों के नाम प्रतिवादियों द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के क्रम में उनसे प्राप्त अध्याचनाओं के अनुसरण में संबंधित पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भेजे गए। इसके अतिरिक्त, जिन अभ्यर्थियों के नाम जिला स्थापना समिति द्वारा अग्रेषित किए गए थे, उन्हें नियम 1996 के नियम 276 के अन्तर्गत समिति द्वारा अग्रेषित नामों के आलोक में सम्बन्धित पंचायत समितियों/जिला परिषदों द्वारा नियुक्तियां प्रदान की गईं। अभ्यर्थियों के आबंटन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया समिति द्वारा नियम 1996 के नियम 280 के अनुसार उसी क्रम में की गई, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम मेरिट/चयन सूची में आए थे।

उपर्युक्त धारा एवं नियमों के सामंजस्यपूर्ण पठन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी विभाग में एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) की नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्थापना समिति है तथा जिला स्थापना समिति द्वारा एलडीसी के पद पर अभ्यर्थियों का चयन करने के पश्चात योग्यता के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है, तत्पश्चात प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में भेजा जाता है। विधानमंडल ने इस प्रकार प्रावधान किया है कि चयन अत्यंत पारदर्शी तरीके से किया जा सके। विभिन्न पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों द्वारा एलडीसी के चयन एवं नियुक्ति के लिए विधानमंडल द्वारा अपनाए गए मानदण्ड चयन प्रक्रिया में विभिन्न मानदण्डों को न्यूनतम करने एवं टालने के पवित्र इरादे से तैयार किए गए हैं।

दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो, यदि वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थी की नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को ध्यान में रखा जाए तो इससे विसंगतियां और अव्यवस्थित/अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चयन सूची/योग्यता सूची में उच्च स्थान पर है और उसे किसी विशेष पंचायत समिति या जिला परिषद में कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन उसके नियंत्रण से परे कारणों से वह दी गई तिथि पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ है और यदि कोई निम्न योग्यता वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से पहले पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करता है तो उसे योग्य व्यक्ति से ऊपर वरिष्ठता दी जाएगी। वरिष्ठ व्यक्ति की कोई गलती न होने पर भी वह उस कनिष्ठ व्यक्ति की तुलना में अपनी वरिष्ठता खो देगा जो निम्न योग्यता होने के बावजूद पहले कार्यभार ग्रहण कर चुका है। विधानमंडल द्वारा इस तरह की कार्रवाई का कभी इरादा नहीं था, इसलिए विधानमंडल द्वारा तैयार की गई योजना से स्पष्ट है कि एलडीसी (जूनियर सहायक) की वरिष्ठता जिला स्थापना समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

इस न्यायालय के सुविचारित मत में, पंचायती राज विभाग में पारदर्शिता एवं सुचारु कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए, योग्यता के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया तैयार की गई है।

यह न्यायालय, बिमला (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक नहीं है। बिमला (सुप्रा) के मामले में, समान तथ्यों के आधार पर, यह माना गया था कि यूडीसी (वरिष्ठ सहायक) के पद पर पदोन्नति के लिए एलडीसी की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय, प्रतिवादियों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 285 का पालन करना आवश्यक है और वरिष्ठता सूची तैयार करते समय उम्मीदवार की योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए।

इस न्यायालय द्वारा 21.08.2024 को तय किए गए निर्णय एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 472/2023 बिमला बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिए गए निर्णय के प्रभावी भाग को इस प्रकार उद्धृत किया गया है:-

"8. चूंकि याचिकाकर्ता को 26.06.2013 को एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 27.06.2013 को एलडीसी के पद पर शामिल हुआ था, इसलिए याचिकाकर्ता का नाम अन्य उम्मीदवारों के साथ याचिकाकर्ता को नियुक्ति देते समय

प्रतिवादियों द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार वरिष्ठता सूची में दर्शाया जाना चाहिए।

9. एलडीसी की वरिष्ठता सूची तैयार करने का आधार नियुक्ति आदेश में दर्शाई गई उम्मीदवार की योग्यता स्थिति होनी चाहिए, जिसे उम्मीदवारों (एलडीसी) की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वरिष्ठता सूची तैयार करते समय याचिकाकर्ता की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को ध्यान में रखा गया है, इसलिए प्रतिवादियों को मामले की पुनः जांच करने का निर्देश दिया जाता है और यदि एलडीसी की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को ध्यान में रखा गया है, तो नियुक्ति आदेश में याचिकाकर्ता की योग्यता स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे ठीक किया जाना आवश्यक है और यदि नियुक्ति आदेश में दर्शाई गई योग्यता के अनुसार याचिकाकर्ता से कनिष्ठ किसी व्यक्ति को पदोन्नति दी गई है, तो याचिकाकर्ता के मामले पर उस व्यक्ति के साथ विचार किया जाना चाहिए।

10. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे यूडीसी (वरिष्ठ सहायक) के पद पर पदोन्नति के लिए एलडीसी (कनिष्ठ सहायक) की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय नियुक्ति आदेश में याचिकाकर्ता की योग्यता स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियम 1996 के नियम 285 के प्रकाश में याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करें, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादियों को यूडीसी (वरिष्ठ सहायक) के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की वरिष्ठता सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें जिला स्थापना समिति द्वारा उसकी नियुक्ति के समय तैयार की गई मेरिट सूची में उसकी स्थिति को ध्यान में रखा जाए न कि उसके कार्यभार ग्रहण/नियुक्ति की तिथि को, कानून के अनुसार।

प्रतिवादियों द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13901/2024

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14195/2024

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14259/2024

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14438/2024

उपर्युक्त सभी रिट याचिकाओं का निपटारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11757/2024 (कृष्णा शेखावत बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) में पारित सम तिथि के आदेश के अनुसार किया जाता है।

सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

(विनीत कुमार माथुर),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।